

[2018] 2 एस.सी.आर. 940

सम्पूर्णा बेहुरा

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 473/2005)

फरवरी 09, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

जनहित याचिका: बच्चों के लिए लाभकारी कानूनों का गैर-कार्यान्वयन या विलंबित कार्यान्वयन – किशोर न्याय अधिनियम 2000 और 2015 – राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में विफलता, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गृहों की स्थापना, कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की जीवन स्थितियों में सुधार – अनुच्छेद के तहत रिट याचिका। 32 जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस अधीक्षकों को 2000 के अधिनियम को तत्काल लागू करने तथा राज्यों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है – निर्णय: देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए जाएं – प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रत्येक जिले में बाल मैत्रीपूर्ण न्यायालय तथा संवेदनशील गवाह न्यायालय स्थापित करें – किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 – किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 – भारत का संविधान – अनुच्छेद 32।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने

कहा: 1. सुझाव और संस्तुतियाँ:

(i) राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(ए) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) नामक निकाय का गठन करेगी और राज्य सरकारें राज्य स्तर पर SCPCR (राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) नामक निकाय का गठन करेंगी। [पैरा 56] [968-सी]

(बी) राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीपीसीआर एक संस्था है जिसमें अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। इस प्रकार, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक एससीपीसीआर और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार करें। राज्य स्तर पर, एससीपीसीआर प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विशेषज्ञों से मिलकर एक समान रूप से महत्वपूर्ण निकाय है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य के बच्चों के लाभ के लिए नीतिगत निर्णय लें, भले ही बच्चे मूल रूप से किस राज्य के हों, क्योंकि एक राज्य के बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है लेकिन वे दूसरे राज्य के बाल देखभाल संस्थान में हैं। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के कार्य कमोबेश एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि एक राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य करता है, जबकि दूसरा राज्य स्तर पर ये कार्य करता है। [पैरा 57, 58] [969-बी-डी]

(सी) एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर दोनों के पास करने के लिए कई प्रकार के कार्य हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी है। यह समझा जाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही इन निकायों को व्यापक नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रही हैं और वास्तव में कुछ मामलों में, विशेष रूप से एससीपीसीआर से संबंधित, कई महीनों तक रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। दुर्भाग्य से, एक समय तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का पद भी कई महीनों तक खाली पड़ा रहा, जब तक कि इस न्यायालय के निर्देश पर अंततः पद नहीं भरा गया। जब तक एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उचित महत्व नहीं दिया जाता और रिक्तियों को समय पर नहीं भरा जाता, तब तक बच्चों के अधिकारों का प्रवर्तन पीछे रह जाएगा और भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कई कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं होंगी या उनका कार्यान्वयन अधूरा और प्रतीकात्मक रहेगा। [पैरा 59] [971-बी-ई]

(डी) आशा और विश्वास है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों में सत्ता और अधिकार में बैठे लोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के महत्व को समझेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपीसीआर और राज्य स्तर पर एससीपीसीआर वास्तव में काम करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। [पैरा 60] [971-ई-एफ]

(ii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई

(ए) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारक इन दोनों निकायों के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल हों। राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों का विवरण भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 84 और नियम 85 में दिया गया है। कार्य विविध,

व्यापक हैं और विभिन्न रणनीतियों और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से बच्चों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए तैयार हैं। [पैरा 61, 62] [972-ए-सी]

(बी) जे.जे. अधिनियम की धारा 106 में राज्य स्तरीय बाल संरक्षण सोसायटी तथा जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई के गठन का प्रावधान है। जे.जे. अधिनियम की धारा 106 मोटे तौर पर यह इंगित करती है कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई का प्राथमिक कार्य जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, इन निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं स्थापित हों तथा उनका रखरखाव हो, बच्चों तथा उनके पुनर्वास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी हों तथा इन दोनों निकायों को अपने व्यापक कार्यों के निर्वहन के लिए सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना भी आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नागरिक समाज की भागीदारी एक प्रगतिशील कदम है तथा इन दोनों निकायों से समय-समय पर उनकी सहायता लेने की अपेक्षा की जाती है। यदि ये दोनों निकाय वास्तव में अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा कार्यों का निष्पादन अपेक्षित तरीके से करते हैं, तो जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन अब कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। दुर्भाग्य से, ये निकाय कई स्थानों पर या जिस तरह से अपेक्षित हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं और कई जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन भी नहीं किया गया है। ऐसी अपेक्षा है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। [पैरा 63-65] [972-डी, जी-एच; 973-ए-बी]

(iii) किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ

(ए) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक रूप से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जेजेबी के सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन मॉडल नियमों के नियम 87 के साथ नियम 88 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति एक गंभीर कार्य है, क्योंकि वे जेजे अधिनियम के तहत जांच करते समय अपने व्यावहारिक और पेशेवर अनुभव को साथ लाते हैं। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह समझा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जेजे अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रधान मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र होकर भी जांच कर सकते हैं। हालांकि, जांच का अंतिम निपटान प्रधान मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता है, जैसा कि धारा 7 की उपधारा (3) के प्रावधान में अनिवार्य है। इस प्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जांच के दौरान और इसके निपटान के समय भी सार्थक योगदान देने की भारी जिम्मेदारी है। [पैरा 67, 68] [973-ई; 974-सी-ई]

(बी) प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रावधान मॉडल नियमों के नियम 89 में किया गया है। दुर्भाग्य से, प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम तथा कोर्स अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, और प्रधान मजिस्ट्रेट तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले

प्रशिक्षण की प्रकृति कुछ हद तक तदर्थ और असंरचित है। सार्थक और प्रभावी प्रशिक्षण (और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) की कमी जांच के अंतिम निपटान पर और साथ ही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधि से संघर्षरत किशोर के पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस पर न केवल कानून और बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता के दृष्टिकोण से बल्कि किशोर न्याय बोर्ड के प्रति संवेदनशीलता, केस प्रबंधन और किशोर न्याय बोर्ड के भीतर विधि से संघर्षरत किशोर के लिए बाल-अनुकूल माहौल और वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 69] [974-एफ-एच]

(सी) यदि बड़ी संख्या में जांच लंबित हैं, तो जेजेबी का यह दायित्व है कि वह प्रतिदिन बैठे ताकि जांच जेजे अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके। जहां बड़ी संख्या में जांच लंबित हैं, वहां राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के लिए एक से अधिक जेजेबी बनाने पर विचार करना उचित होगा। [पैरा 71] [975-ई-एफ]

(डी) जेजेबी वस्तुतः एक न्यायालय की प्रकृति का है, हालांकि यह कोई सुनवाई नहीं करता, बल्कि केवल जांच करता है। फिर भी, इसे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। जेजेबी के पास कई प्रशासनिक कार्य भी हैं और उन पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जेजेबी, संप्रेक्षण गृह के अधिकारियों, पुलिस, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर और उस किशोर के माता-पिता और पुलिस तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच प्रभावी समन्वय हो सके। अगर जेजेबी को प्रभावी ढंग से काम करना है तो इन प्रशासनिक कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह आकस्मिक बयान कि जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, हालांकि संभवतः सही है, जेजेबी के समक्ष जांच में भाग लेने वाले हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न तो यहां और न ही वहां है। [पैरा 72] [973-ए-सी]

(ई) ऐसे गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता वकीलों की सख्त जरूरत है जो कानून से संघर्षरत किशोरों की सहायता कर सकें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। जब तक किसी बच्चे को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, तब तक यह उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब कानून से संघर्षरत बच्चा दोषी पाया जाता है और उसे विशेष गृह में रखा जाता है। अपनी ओर से, नालसा ने कानूनी सहायता वकीलों के प्रशिक्षण के लिए एक मैनुअल तैयार किया है और ऐसा माना जाता है कि यह न केवल कानूनी सहायता वकीलों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो कानून से संघर्षरत किशोरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि आम तौर पर कानूनी सहायता वकीलों के लिए भी। इसी तरह, अभियोजकों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है और राज्य सरकारें जेजे अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए

आवश्यक कदम उठाएंगी, जो कानून से संघर्षरत किशोर को समाज में फिर से शामिल करना और उस किशोर का पुनर्वास करना है। [पैरा 73] [976-डी-एफ]

(एफ) मॉडल नियमों के नियम 64 से यह स्पष्ट है कि कानून से संघर्षरत किशोर को जेजेबी के समक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में परिवीक्षा अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जांच इस तरह से की जाती है जो कानून से संघर्षरत किशोर के पुनर्वास के लिए अनुकूल हो। इस संबंध में, व्यक्तिगत देखभाल योजना और रिहाई के बाद की योजना तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है और परिवीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। [पैरा 75] [978-एफ-जी]

(जी) यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवीक्षा अधिकारी को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और जागरूकता दी जानी चाहिए। नालसा ने प्रोबेशन अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करके इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि NALSA द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार प्रोबेशन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा समय के साथ वयस्क शिक्षण तकनीकों, प्रशिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री में सुधार किया जाए। उक्त निष्कर्ष CWCs पर भी समान रूप से लागू होते हैं। [पैरा 76] [978-जी-एच; 979-ए]

(iv) प्रौद्योगिकी का उपयोग

(ए) किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों दोनों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत हलफनामों और प्रस्तुतियों से यह पता चलता है कि किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के पास कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की भारी कमी है। प्रौद्योगिकी न केवल किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लापता बच्चों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को बचाने, तस्करी किए गए बच्चों, बाल देखभाल संस्थानों से निकलने वाले बच्चों, बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों और अनुवर्ती कार्रवाई सहित कई अन्य आवश्यकताओं से संबंधित समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि हमारा देश एक तकनीकी महाशक्ति है और यदि उपलब्ध संसाधनों का लाभ नहीं उठाया गया और बच्चों के लाभ के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया, तो एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में हमारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी और केवल कागजों पर ही रह जाएगी। डेटा, खास तौर पर इस तरह के परिमाण का, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल से आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। यह संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन में बहुत मददगार होगा और MWCD और बाल अधिकारों से जुड़े अन्य लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। [पैरा 79] [979-ई-एच; 980-ए]

(बी) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों का उपयोग जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के प्रशासनिक कामकाज में बहुत बड़ा योगदान देगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस पर गौर करने और जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदान करने की आवश्यकता है, जो स्पष्ट कारणों से है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के परामर्श से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का काफी उपयोग किया है और अभिनव कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग पर भी उचित मामलों में विचार किया जा सकता है, जहां कानून के साथ संघर्षरत किशोर को कुछ असुविधा के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करना आवश्यक हो। [पैरा 80] [980-बी-सी]

(सी) ऑनलाइन केंद्रीय स्तरीय निगरानी प्रणाली लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सराहना की जानी चाहिए। यह ऑनलाइन प्रणाली काफी प्रभावी ढंग से काम कर रही है, हालांकि समय-समय पर इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय स्तरीय निगरानी प्रणाली की जानकारी को अपडेट करने में राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक सक्रिय सहयोग नहीं दिया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि जानकारी को अपडेट करना बेहद जरूरी है ताकि कुशल योजना बनाई जा सके जिससे अंततः बच्चों से संबंधित मुद्दों का बेहतर प्रबंधन हो सके। राज्य सरकारों को तिमाही में एक बार केंद्रीय स्तरीय निगरानी प्रणाली की जानकारी भरनी होती है और निश्चित रूप से यह कोई मुश्किल काम नहीं है। [पैरा 81] [980-डी-ई, एफ]

(v) पुलिस की भूमिका

(ए) जेजे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक स्थानीय पुलिस है। धारा 107 प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और एक विशेष किशोर पुलिस इकाई की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। एसजेपीयू में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। कई राज्यों ने वास्तव में सीडब्ल्यूपीओ नियुक्त किए हैं और एसजेपीयू स्थापित किए हैं। दुर्भाग्य से, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं गया है, लेकिन आम तौर पर मॉडल नियमों के नियम 86 में बताया गया है। सीडब्ल्यूपीओ और एसजेपीयू के लिए प्रभावी प्रशिक्षण की कोई प्रणाली भी विकसित नहीं हुई है और उनमें से कई केवल प्रतीकात्मक रूप से और केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कानून उन्हें अस्तित्व में रखने की आवश्यकता है। चूंकि सीडब्ल्यूपीओ और एसजेपीयू के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट या पहचाना नहीं गया है, इसलिए यह सही समय है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी राज्य पुलिस अकादमियों के परामर्श से सीडब्ल्यूपीओ और एसजेपीयू के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करें। इस संबंध में, नालसा ने प्रत्येक पुलिस

स्टेशन से जुड़े किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। शायद यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और पुलिस अकादमियों के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। [पैरा 82, 83] [980-जीएच; 981-ई-एच]

(बी) सामान्यतः पुलिस के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि रोटेशन की नीति के कारण, अक्सर ऐसा होता है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद उस अधिकारी को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रयास की बर्बादी है और स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का एक तरीका यह है कि प्रत्येक राज्य पुलिस अकादमी राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और राज्य सरकार अपने अधिकारियों की सेवाओं का इष्टतम उपयोग करे। इसी प्रकार, भारत सरकार को बच्चों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस को शामिल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कोई जानकारी या डेटा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार से रेलवे के माध्यम से इस मामले पर कुछ हद तक तत्परता से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। बड़ी संख्या में भागे हुए बच्चे और नशीली दवाओं के आदी बच्चे रेलवे स्टेशनों (और अन्य स्थानों) पर कूड़ा बीनने या अन्य नीच काम करते हुए पाए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि अन्यथा भी, ऐसे बच्चों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता है। नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए और सामान्य रूप से कानून के साथ संघर्ष में शामिल किशोरों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। [पैरा 86] [982-ई-जी]

(vi) बाल देखभाल संस्थान

(ए) बहुत से बाल देखभाल संस्थान जर्जर इमारतों में स्थित हैं और न्यूनतम सीमा तक भी आरामदायक जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं हैं। राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि वे बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को रखकर कोई दान नहीं कर रहे हैं – वे केवल अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इसलिए, हर राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का मूल्यांकन और आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उनकी स्थिति, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। बच्चे इन संस्थानों में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वे रहना चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश बच्चे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले होते हैं। समाज का दायित्व इन बच्चों को सांत्वना और आराम प्रदान करना और देखभाल के न्यूनतम मानकों का पालन करना है। मॉडल नियमों में बेहतर बाल देखभाल संस्थानों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में विवरण शामिल हैं। [पैरा 87] [982-जी-एच; 983-ए-सी]

(बी) संविधान द्वारा राज्य सरकारों पर अतिरिक्त कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों) और पर्याप्त पोषण प्रदान करना। ये बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिन पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और जेजे अधिनियम के तहत स्थापित निकायों और संस्थानों द्वारा पूरी ईमानदारी से विचार किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालय संवैधानिक रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक हित में निरंतर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं, जो अनिवार्य रूप से कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कार्यपालिका संसद के जनादेश की निरंतर उदासीनता के साथ अनदेखी करती है, तो यह देश के बच्चों के लिए ही हानिकारक होगा। [पैरा 88] [984-बी-डी]

(सी) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और प्रबंधित बाल देखभाल संस्थान जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हों। कुछ संस्थानों की ओर से पंजीकरण का कुछ विरोध किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक कानून वैधानिक पुस्तकों में मौजूद है, तब तक उसका पालन किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन करने वालों के लिए यह असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए जनहित में है कि देखभाल के न्यूनतम मानकों को बनाए रखा जाए और उन संस्थानों में बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। कभी-कभी बाल देखभाल संस्थानों से तस्करी और बाल यौन शोषण के आरोप सामने आते हैं, जिनमें से कुछ की पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी शर्मनाक आरोप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पंजीकरण, उनके प्रबंधन और कामकाज की राज्य सरकारों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सख्ती से निगरानी की जाए। [पैरा 89] [983-जी-एच; 984-ए-बी]

(डी) वकील ने सुझाव दिया कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को आयु के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए और जहां भी लागू हो, कथित अपराध की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए ताकि यौन शोषण या किसी अन्य प्रकार की हिंसा की संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी संस्थानों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कानून के साथ संघर्षरत बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में पुनः एकीकृत और मुख्यधारा में लाकर पुनर्वासित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक या सतत शिक्षा प्रदान करें। इस बात पर जोर दिया गया कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन कर सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का स्थान बाल देखभाल संस्थानों के करीब होना चाहिए ताकि बच्चों को इन वैधानिक निकायों के समक्ष उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

वकील द्वारा दिए गए सभी सुझाव और सिफारिशें चिंता के मुद्दे हैं और राज्य सरकारों और एससीपीसीआर द्वारा इनका कर्तव्यपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। [पैरा 90, 91] [984-एफ-एच; 985-ए]

(ई) बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में प्रस्तुत किए गए सुझाव यह थे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह पता लगाने के लिए कि क्या वे वास्तव में उस तरह से काम कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, उनका अनिर्धारित दौरा कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से लागू करने योग्य है और नालसा से इस सुझाव पर आगे बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में, 2006 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बाल देखभाल संस्थानों में आगंतुकों की नियुक्ति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था और 2013 और 2015 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बाल देखभाल संस्थानों में रहने की स्थिति में सुधार करने पर भी ध्यान दिया गया था। नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करेंगे। [पैरा 92] [985-बी-सी]

(vii) किशोर न्याय निधि

(ए) जेजे अधिनियम में किशोर न्याय कोष के गठन का प्रावधान है। यह देखना काफी दुखद है कि कुछ राज्य सरकारों ने किशोर न्याय कोष की स्थापना तक नहीं की है, जबकि एक या दो राज्य सरकारों ने मात्र कुछ हजार रुपये की शर्मनाक राशि से कोष की स्थापना की है। यह आश्चर्य की बात है कि इतनी कम राशि होने पर ये राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण की देखभाल कैसे कर सकती हैं। जाहिर है, ये राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण के बारे में गंभीरता से चिंतित नहीं हैं, जो दुखद है। यह बच्चों के अधिकारों के प्रति सरकारी उदासीनता है और चिंता का विषय है। [पैरा 93] [985-डी-एफ]

(viii) मूल्यांकन और आकलन

(ए) यह उचित होगा कि जे.जे. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए अगले कुछ वर्षों तक हर छह महीने में किसी प्रकार का मूल्यांकन या सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। संसद द्वारा 2000 के अधिनियम को पारित किए जाने के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है और निश्चित रूप से देश के बच्चे इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 15 या 16 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। 2000 के अधिनियम के पारित होने के समय पैदा हुए अधिकांश बच्चे वयस्क होने के करीब हैं और उनमें से कई को 2000 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिला है। यह गंभीर गलती जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन में दोहराई नहीं जा सकती। [पैरा 94] [985-जी-एच; 986-ए]

2. निष्कर्ष और निर्देश:

वकीलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और देश में किशोर न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

- (i) भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर में सभी पदों को समय पर भरा जाए और इन वैधानिक निकायों को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे बच्चों के लाभ के लिए प्रभावी और सार्थक रूप से कार्य कर सकें।
- (ii) एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को संसद द्वारा उन पर व्यक्त विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। देश भर में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में इन निकायों की बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है।
- (iii) राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समितियों और जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाइयों पर यह सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जेजे अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और रखरखाव इस तरह से किया जाए जो पोषण, शिक्षा, चिकित्सा लाभ, कौशल विकास और सामान्य जीवन स्थितियों सहित सभी मामलों में बच्चों की भलाई के लिए अनुकूल हो। इन दोनों निकायों को गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की सहायता लेने की सलाह दी जाएगी।
- (iv) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी में सभी पद शीघ्रता से और मॉडल नियमों या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भरे जाएं। पदों को भरने में किसी भी तरह की देरी से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे बचा जाना चाहिए।
- (v) जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को यह समझना चाहिए कि नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करना आवश्यक है ताकि किसी भी समय कम से कम जांच लंबित रहे और कानून का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों को न्याय मिले तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक न्याय मिले।
- (vi) एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को जेजे अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध अध्ययन करना चाहिए, जैसा कि उचित समझा जाए। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
- (vii) एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परीक्षा अधिकारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, राज्य सरकार को आवश्यक संख्या में परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कानून के

साथ संघर्ष करने वाले किशोर के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए परीक्षा अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है और मॉडल नियमों और नियमों, यदि कोई हो, में निर्धारित उनके कर्तव्यों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(viii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को न केवल डेटा और सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से बल्कि अधिनियम से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे गुमशुदा बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों का डेटाबेस बनाने और गोद लेने के मामलों आदि के लिए भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का रचनात्मक उपयोग जारी रखना चाहिए।

(ix) विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना करने और जेजे अधिनियम के अनुसार जल्द से जल्द बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है, न कि केवल कागजों पर। ऐसी इकाइयों और अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानना आवश्यक है और जहां भी आवश्यक हो, बच्चों के लाभ के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता, या तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो या गैर सरकारी संगठनों से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए।

(x) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राज्य पुलिस अकादमियों को बाल अधिकारों को अपने पाठ्यक्रम का नियमित हिस्सा बनाने पर विचार करना चाहिए, न कि इसे एक अलग या छिटपुट घटना के रूप में शामिल करना चाहिए।

(xi) बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि ऐसी सभी संस्थाएँ पंजीकृत हों, ताकि बच्चे सम्मानजनक जीवन जी सकें और लापता बच्चों और तस्करी के मुद्दों को भी संबोधित किया जा सके।

(xii) राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगंतुकों के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन संस्थानों के प्रबंधन और रखरखाव को संबोधित किया जाता है।

(xiii) जेजे फंड राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रभावी प्रतिक्रिया के अभाव में थोड़ा शर्मनाक है। यदि बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो हम यह सोचकर कांप उठते हैं कि धन का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है।

(xiv) नालसा ने जेजे अधिनियम से संबंधित डेटा और सूचना एकत्र करने में उल्लेखनीय कार्य किया है, जैसा कि इसके द्वारा तैयार की गई तीन भाग की रिपोर्ट से स्पष्ट है। नालसा

से अनुरोध है कि वह इस कार्य को आगे बढ़ाए और अधिमानतः 30 अप्रैल, 2018 से पहले एक समान रिपोर्ट पूरी करे ताकि सभी नीति निर्माण और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को अपने मामलों की योजना बनाने में सहायता मिल सके।

(xv) सभी प्राधिकरण जैसे जेजेबी और सीडब्ल्यूसी, परिवीक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण समितियों के सदस्य और जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधकीय कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उन्हें उनकी स्थिति से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नालसा द्वारा इस संबंध में एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया गया है और यह उम्मीद की जाती है कि एनसीपीसीआर एससीपीसीआर की सहायता से इस पहल को आगे बढ़ाएगा ताकि जेजे अधिनियम का सार्थक कार्यान्वयन हो सके।

(xvi) प्रत्येक उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति अपने राज्य में बच्चों के कल्याण में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेगी। भागीदारी और प्रक्रिया को और अधिक सार्थक बनाने के लिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे 2015 अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की गति से कार्यवाही दर्ज करें ताकि वैधानिक अधिकारियों और किशोर न्याय समिति द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों की सुनवाई के बाद सार्थक रूप से संबोधित किया जा सके। [पैरा 95] [986-बी-एच; 987-ए-एच; 988-ए-एच; 989-ए-एफ]

3. प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे प्रत्येक जिले में बाल मित्रवत न्यायालय और संवेदनशील गवाह न्यायालय स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करें। जेजे अधिनियम के तहत जांच और अन्य कानूनों जैसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, दंड संहिता और अन्य समान कानूनों के तहत यौन अपराधों के लिए परीक्षण पीड़ितों के प्रति उच्च संवेदनशीलता, देखभाल और सहानुभूति के साथ किए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 96] [989-एफ-जी]

शीला बारसे II बनाम भारत संघ (1986) 3 एससीसी 632; शीला बारसे बनाम भारत संघ (1988) 4 एससीसी 226 : [1988] 2 अनुपूरक एससीआर 643; न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम पंजाब राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 9 अप्रैल, 2013 को निर्णय लिया, MANU/PH/0599/2013; नैसुल खातून बनाम असम राज्य और अन्य 2011 क्रि एलजे 326 : 2010 एससीसी

*ऑनलाइन गौ 225; सनत कुमार सिन्हा (मुख्य समन्वयक) का पत्र, बाल शाखा
बनाम बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार और अन्य के माध्यम से।
MANU/BH/0384/2008 – संदर्भित।*

केस लॉ संदर्भ

(1986) 3 एससीसी 632	पैरा 22	संदर्भित
[1988] 2 अनुपूरक एससीआर 643	पैरा 24	संदर्भित
2011 क्रि एलजे 326:2010 एससीसी	पैरा 70	संदर्भित

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (सिविल) संख्या- 473/2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

कॉलिन गोंसाल्वेस, सीनियर एडवोकेट, सुश्री स्नेहा मुखर्जी, सुश्री ज्योति, मेंदिरत्ता,
याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

एस. वसीम ए. कादरी, आर. के. राठौर, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री गुणवंत दारा, ए. ए. राज,
बी. वी. बलराम दास, जी. एस. मक्कर, राज बहादुर, शैलेंद्र सैनी, सईद कादरी, विकास बंसल, गगन गुप्ता,
सौरभ गुप्ता, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

निर्णय

मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति

1. यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक या मानवीय या वैधानिक अधिकार पर कोई ध्यान नहीं देता है, और न ही अपने संवैधानिक या वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में गंभीर रुचि लेता है, तो वह नागरिक क्या कर सकता है? क्या होगा यदि वह नागरिक एक मूक बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज शासन के शोर में नहीं सुनी जा सकती है—उदाहरण के लिए, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, आदिवासी और कई अन्य? पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायपालिका से संपर्क करेगा (यदि वह ऐसा कर सकता है और अंतिम उपाय के रूप में)। क्या न्यायपालिका को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए और इस कारन उस पर न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण का आरोप लगाए लगाया जाना चाहिए – या फिर संशयवादियों और संदेहवादियों को आनंदित होने देना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप मूक और वंचित लोगों की शिकायतें अनसुनी रह जाएँगी और मौलिक और मानवाधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा?

2. ये प्रश्न बेजुबान (और कभी-कभी चुप) बच्चों, विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के लिए फायदेमंद कानूनों के आभासी गैर-कार्यान्वयन या सुस्त कार्यान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। हम एक जनहित याचिका के माध्यम से इनमें से कुछ मुद्दों को उजागर करने में संपूर्ण बेहुरा के प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं और उपस्थित पक्षों के विद्वान वकील को सहायता प्रदान करने के लिए इन कार्यवाही को प्रतिकूल नहीं बनाकर इनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम बनाने के लिए, लेकिन हमारे देश के बच्चों के लाभ के लिए एक रचनात्मक प्रयास के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं। किसी को कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य के लिए दृढ़ता से और सक्रिय रूप से स्वीकार करने का समय है कि हमारे देश में बच्चों को भी मौलिक अधिकार और मानवाधिकार हैं और उन्हें समान रूप से दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।

3. अगर नेल्सन मंडेला की बात पर विश्वास किया जाए तो- “हमारे बच्चे हमारा सबसे बड़ा खजाना हैं। वे हमारा भविष्य हैं। जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे हमारे समाज का ताने-बाने को नष्ट करते हैं और हमारे राष्ट्र को कमजोर करते हैं।” ¹(22 नवंबर 1997 को राष्ट्रीय पुरुष मार्च, प्रिटोरिया में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का संबोधन) हमारे नीति और निर्णय निर्माताओं को इस सलाह और चेतावनी पर ध्यान देने और इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है कि वे हमारे देश के बच्चों की देखभाल करके उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं- यह उनका संवैधानिक दायित्व है और सामाजिक न्याय कि संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को प्रभावी ढंग से और सार्थक रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन

4. बाल अधिकारों की एक दूरदर्शी समझ के लिए, 2006 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन (जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश ने की थी और जिसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भाग लिया था) में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया था:

“क) उच्च न्यायालय राज्य सरकारों पर किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करने के लिए दबाव डालेंगे, जहां कहीं भी इसकी स्थापना नहीं की गई है। मुख्य न्यायाधीश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित रिमांड/अवलोकन गृहों की स्थिति और कामकाज की देखरेख के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं।

1 22 नवंबर 1997 को प्रिटोरिया में नेशनल मेन्स मार्च में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का संबोधन

ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले में तेजी लाएंगे, जहां वे अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

ग) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जहां कहीं भी स्थापित किशोर गृहों का समय-समय पर दौरा करने के लिए एक न्यायाधीश को नामित करेंगे, और विद्वान न्यायाधीश किशोर गृहों और कैदियों की स्थितियों में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सकते हैं।”

5. उपरोक्त प्रस्ताव 2000 के अधिनियम के लागू होने के लगभग छह साल बाद पारित किया गया था— जिसका अर्थ है कि संसद द्वारा बच्चों के लाभ के लिए एक कानून लागू करने के लगभग छह साल बाद भी, राज्य सरकारों ने कानून की एक बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए थे, यानी किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का।

6. 2009 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना में हुई प्रगति पर चर्चा की गई और 2006 में सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को दोहराया गया जो दर्शाता है कि राज्य सरकारों द्वारा किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना में अभी भी बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई है। इस प्रकार, लगभग एक दशक संसद द्वारा निर्धारित बुनियादी वैधानिक दायित्व के राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के बिना बीत गया था।

7. 2013 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के मुद्दे पर फिर से चर्चा की गई और 2006 और 2009 में पारित प्रस्तावों को दोहराया गया। इसके अलावा, सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों की स्थापना के आदेश पर भी जोर दिया गया ताकि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और 2000 के अधिनियम के प्रावधानों को पूरा प्रभाव दिया जा सके। यह आगे विचार किया गया था कि:

“आगे यह संकल्प लिया गया कि किशोर न्याय समितियाँ, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों और किशोरों के कल्याण और कार्यशील किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 से संबंधित अन्य लोगों के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था, की स्थापना सभी उच्च न्यायालयों में की जाए ताकि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की उनकी वास्तविक भावना से निगरानी की जा सके।

यह देखा गया कि राज्य सरकारों ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 जिसे कि 2006 में संशोधित किया गया था और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में निर्दिष्ट विभिन्न गृहों की स्थापना

और स्थापना के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। यह देखा गया कि रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम्स और शेल्टर होम्स में स्थितियां मानक के अनुरूप नहीं हैं और उपरोक्त अधिनियम और नियमों के तहत परिकल्पित इन सुविधाओं को सार्थक बनाने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। यह भी देखा गया कि वयस्कता में जाने वाले किशोरों और विशेष रूप से लड़कियों के लिए देखभाल के बाद के घरों (आफ्टर-केयर होम) को संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश उपरोक्त अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट विभिन्न गृहों की स्थितियों में सुधार लाने और उक्त प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाएंगे, जैसा कि कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने बताया था कि गृहों के कई कर्मचारी पंद्रह वर्षों से भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को राज्य प्राधिकरणों के साथ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति, जो तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं, यदि आवश्यक हो, तो पदों का निर्माण करके उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।

इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया गया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधान अभी तक जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किए गए थे।”

8. 2015 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा की गई और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

“यह संकल्प लिया गया कि उच्च न्यायालय अपने-अपने राज्यों में किशोर न्याय के क्षेत्र में मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के तरीकों को विकसित करने सहित सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाए, किशोर गृहों, विशेष गृहों, अवलोकन गृहों, आश्रय गृहों और बचाव केंद्रों आदि का नियमित रूप से दौरा किया जाए और जहां भी ऐसे घर पहले से स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां स्थापित किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी घरों/केंद्रों में मानकों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सहायता भी ली जाएगी।”

9. अंत में, 2016 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

“सम्मेलन ने कानून के टकराव/उल्लंघन में फंसे किशोरों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है।

संकल्प लिया गया कि:

- (i) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लंबित मामलों का जे. जे. बी. (किशोरे न्याय बोर्ड) द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।
- (ii) उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियाँ गोद लेने के मामलों और बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने के लिए आवेदनों के लंबित होने और निपटारे की निगरानी प्राथमिकता के आधार पर करेंगी।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, अवलोकन गृह और बाल गृह हों;
- (iv) अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लंबित मामलों की निगरानी उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियों द्वारा की जाए।
- (v) न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाए।
- (vi) किशोर न्याय संस्थानों में रिक्तियों को तीन महीने में मिशन मोड के आधार पर भरा जाए; और
- (vii) राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।”

10. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय ने बच्चों से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने और उन पर गौर करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक किशोर न्याय समिति का गठन किया है। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय ने सकारात्मक से अधिक प्रतिक्रिया दी है और प्रत्येक किशोर न्याय समिति ने घरों में रहने की स्थिति और कई बच्चों के कल्याण और जीवन में कुछ सुधार किए हैं।

11. इस बात की सराहना करते हुए कि न्यायपालिका का यह सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है कि हर कोई बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम करे, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 2000 के अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक समिति का गठन किया—यह न्यायपालिका द्वारा बच्चों के अधिकारों को दिया गया महत्व है।

12. न्यायपालिका के दबाव के बावजूद, न्यायिक 'सक्रियता' और इसकी आलोचना के बावजूद, पिछले लगभग एक दशक से, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बच्चों के लाभ के लिए संसद द्वारा गंभीरता

से अधिनियमित कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। कई उदाहरणों में, जमीनी स्तर पर केवल कॉस्मेटिक (दिखावटी) परिवर्तन पेश किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप बेजुबान/अवाजहीन बच्चे आधिकारिक उदासीनता के विषय बने हुए हैं। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत संघ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय (संक्षेप में एम. डब्ल्यू. सी. डी.) के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें कुछ महत्व देने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। फिर भी, बच्चों के अधिकारों की मान्यता और उनकी प्राप्ति से संबंधित समग्र तस्वीर संतोषजनक नहीं है और निराशाजनक बनी हुई है क्योंकि हम लंबे और घुमावदार रास्ते पर चल रहे हैं।

जनहित में रिट याचिका

13. संपूर्ण बेहुरा जो हमारे सामने याचिकाकर्ता के रूप में है ने समाजशास्त्र में परास्नातक किया है और प्रासंगिक समय में उसी विषय में डॉक्टरेट थीसिस कर रही थी। वह बाल यौन शोषण, सड़क पर रहने वाले बच्चों और कामकाजी बच्चों के मामलों को संभालने में शामिल रही हैं और उन्होंने बाल अधिकारों पर विभिन्न अध्ययन भी किए हैं।

14. देश में बच्चों की दुर्दशा से चिंतित, संपूर्ण बेहुरा ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका संविधान के कई अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दायर की, जो राज्य पर प्राथमिक जिम्मेदारी डालते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाए और उनके बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। उनके द्वारा निर्दिष्ट संविधान के अनुच्छेदों में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय शामिल हैं। उन्होंने 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों पर समझौते की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। कन्वेंशन, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ बच्चे के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा, बाल पीड़ितों के सामाजिक एकीकरण आदि पर जोर देता है।

15. उन्होंने रिट याचिका में यह भी कहा है कि 2000 का अधिनियम संसद द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम, 1990 और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में निर्धारित विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था।

16. रिट याचिका का मुख्य मुद्दा 2000 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकारों की विफलता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त गृहों की

स्थापना, कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की जीवन स्थितियों में सुधार, राज्य की अभिरक्षा में बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और कई अन्य मानवाधिकार मुद्दे शामिल हैं। इन व्यापक तथ्यों और कथनों के आधार पर ही जनहित में राहत की प्रार्थना की गई थी।

17. रिट याचिका ने विभिन्न राज्यों में 2004-2005 में किए गए सर्वेक्षणों और अनुसंधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनके महत्व और महत्व के बावजूद, उन्हें किसी भी बड़े विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे समय के साथ तत्काल प्रासंगिकता खो चुके होंगे।

18. जनहित याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों और पुलिस अधीक्षकों को 2000 के अधिनियम को सही मायने में तुरंत लागू करना चाहिए।

19. एक प्रार्थना यह भी है कि सभी प्रतिवादी राज्यों को विभिन्न घरों में किशोरों के लिए पौष्टिक भोजन, उचित और स्वच्छ आवास, शैक्षिक सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया जाए और प्रत्येक जिले के कलेक्टरों को इस न्यायालय के आदेशों को लागू करने में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का निर्देश दिया जाए।

20. 2000 के अधिनियम को तब से निरस्त कर दिया गया है और जो अब लागू है वह जेजे अधिनियम है। 2000 के अधिनियम का निरसन जनहित याचिका में दावा की गई राहतों के योग और सार को बिल्कुल नहीं बदलता है। हालाँकि यह याचिका बहुत पहले 2005 में दायर की गई थी, लेकिन यह फलहीन/निरर्थक नहीं है, उठाए गए मुद्दे आज भी बहुत प्रासंगिक और जीवंत हैं।

इस न्यायालय में कार्यवाही

21. रिट याचिका पर पहली बार 26 सितंबर, 2005 को विचार किया गया था, जब सभी उत्तरदाताओं (भारत संघ और राज्यों) को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की सेवा/तामिल के बाद (जिसमें खुद ही लगभग एक साल लग गया!) मामले को 3 जनवरी, 2007 को विचार किया गया था और यह देखा गया था कि रिट याचिका में अनुरोध 2000 के अधिनियम को उसके सही अर्थ में तुरंत लागू करने के लिए था और याचिका में उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया था जिन्हें कई साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किया गया था। यह नोट किया गया कि रिट याचिका बच्चों के लिए कुछ घरों में भयानक परिस्थितियों को उजागर करती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से प्रत्यर्थी राज्यों द्वारा विस्तृत हलफनामे दायर करने की आवश्यकता बताई।

22. दिनांक 3 जनवरी, 2007 के आदेश में **शीला बारसे II बनाम भारत संघ**²(1986) 3 एससीसी 632 का सन्दर्भ दिया गया था जिसमें “सुरक्षित अभिरक्षा” के लिए देश भर की विभिन्न जेलों में बंद परित्यक्त या बेसहारा बच्चों के मामले से भी निपटा गया था। उस निर्णय में यह उल्लेख किया गया था कि बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित प्रस्तावना शामिल थी:

“राष्ट्र के बच्चे एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन-पोषण और देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। बाल कार्यक्रमों को मानव संसाधन के विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में एक प्रमुख भूमिका मिलनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर मजबूत नागरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ, समाज के लिए आवश्यक कौशल और प्रेरणा से संपन्न बन सकें। विकास की अवधि के दौरान सभी बच्चों के विकास के लिए समान अवसर हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के हमारे बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी।”

23. न्यायालय ने उस निर्णय में कहा कि यदि कोई बच्चा राष्ट्रीय संपत्ति है (राष्ट्रीय नीति के अनुसार), तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे की देखभाल करे और इसलिए बच्चों से संबंधित कानूनों में प्रावधान है कि एक बच्चे को जेल में नहीं रखा जाएगा। यह निर्देश दिया गया कि किसी भी अवसर पर बच्चों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और यदि किसी राज्य सरकार के रिमांड होम या बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन होम/अवलोकन गृह में पर्याप्त आवास नहीं है, तो उन्हें जेल में कैद करने के बजाय जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

24. इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक जिले में किशोर न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए और मजिस्ट्रेटों का एक विशेष संवर्ग/कैडर होना चाहिए जो बच्चों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित हों। कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए गए थे लेकिन वे बाल अधिनियम से उत्पन्न होते हैं और वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हैं। आदेश में **शीला बारसे बनाम भारत संघ**³ के मामले का भी संदर्भ किया गया था, जिसमें यह न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित अपने निर्णय को दोहराया।

25. यह ध्यान दिया गया कि 2000 के अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड (संक्षिप्त में 'जे.जे.बी') और बाल कल्याण समितियों (संक्षिप्त में 'सी.डब्ल्यू.सी') का गठन बहुत कम जिलों में किया गया है। यह भी ध्यान दिया गया कि कुछ अवलोकन/पर्यवेक्षण गृह वर्दीधारी या सशस्त्र पुलिस वाली जेलों की तरह हैं।

² (1986) 3 एससीसी 632

³ (1988) 4 एससीसी 226

26. कुछ बाद की सुनवाई और दलीलों के पूरा होने के बाद, न्यायालय ने 14 फरवरी, 2011 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) और 11 जुलाई, 2011 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (संक्षेप में 'एन. ए. एल. एस. ए.') को पक्षकार बनाया। 19 अगस्त, 2011 को हुई सुनवाई में एनएएलएसए/ NALSA द्वारा बाल अधिकारों के संबंध में काफी सुझाव दिए गए थे। हम इन प्रस्तुतियों पर उचित स्तर पर विचार करेंगे।

27. सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि प्रत्येक जिले में कानून के साथ संघर्षरत किशोरों की संख्या और ऐसे बच्चों के विवरण से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में भ्रम और अनिश्चितता है। इससे कानूनी सहायता प्रदान करने या उपयुक्त गृह प्रदान करने के लिए एक प्रभावी योजना बनाना मुश्किल हो गया। इसलिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को डेटा एकत्र करने की आवश्यकता थी और नालसा को आगे के निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय को डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि सी. डब्ल्यू. सी. और जे. जे. बी./JJBs हर जिले में कार्यात्मक या गठित नहीं हैं। तदनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया कि वे राज्य सरकार में उपयुक्त विभाग के साथ समन्वय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी. डब्ल्यू. सी./ CWCs और जे. जे. बी./JJBs 2000 के अधिनियम के अनुसार स्थापित किए गए हैं।

28. 19 अगस्त, 2011 के आदेश के अनुसार, नालसा द्वारा 2000 के अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा सुविधाओं पर तीन भागों में एक विस्तृत और उत्कृष्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें रिपोर्टिंग का महीना और वर्ष अगस्त 2011 था।

29. जब 12 अक्टूबर, 2011 को मामले को फिर से उठाया गया तो अदालत ने 19 अगस्त, 2011 को पारित निर्देशों के महत्व को दोहराया और 2000 के अधिनियम की धारा 63 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि गृह विभाग और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक पुलिस अधिकारी हो जिसमें आवश्यक योग्यता हो और उसे किशोर या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और नालसा से अनुरोध किया गया था कि वे ऐसे अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करें।

30. गृह विभाग और पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि 2000 के अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (3) के अनुसार कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के उपचार में समन्वय और उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयां स्थापित की जाएं।

31. जब इस न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ द्वारा 11 सितंबर, 2015 को इस मामले पर विचार किया गया, तो यह देखा गया कि भारत संघ ने 31 जुलाई, 2015 और 9 सितंबर, 2015 को शपथ पत्र दायर किए थे। इन शपथपत्रों को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बड़ी संख्या में गृह पंजीकृत नहीं थे। चूँकि यह चिंता का विषय था (जिसमें बच्चों की तस्करी की संभावना थी), भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस मामले को देखने का अनुरोध किया गया और उन्होंने कहा कि भारत संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृह कुछ महीनों के समय में 2000 के अधिनियम के तहत पंजीकृत हो जाएं।

32. इसके तुरंत बाद, जेजे अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जनवरी, 2016 को लागू किया गया। जेजे अधिनियम ने किशोर न्याय व्यवस्था में कई बदलाव लाए लेकिन संपूर्ण बेहुरा द्वारा दायर याचिका का आधार अप्रभावित रहा।

33. उपरोक्त पृष्ठभूमि में 15 फरवरी, 2016 को उनकी जनहित याचिका पर विचार किया गया था और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों को देखने के बाद, निम्नलिखित मुद्दों की पहचान गंभीरता से विचार करने और विचार-विमर्श की आवश्यकता के रूप में की गई थी:

1. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का गठन।
2. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों का गठन।
3. प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की स्थापना (यदि आवश्यक हो तो कुछ जिलों में एक से अधिक) और उनका प्रशिक्षण।
4. बाल कल्याण समितियों (सी. डब्ल्यू. सी.) की स्थापना और उनका प्रशिक्षण।
5. परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण।
6. प्रत्येक पुलिस थाने में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना, उनका प्रशिक्षण और पुलिस प्रशिक्षण नियमावली को अद्यतन करना।
7. कानूनी सहायता वकीलों और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रावधान।

8. जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का उचित चयन।
9. जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. की जनशक्ति आवश्यकताओं का आकलन और रिक्रियों को भरना।
10. राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
11. सामाजिक जाँच रिपोर्ट का महत्व।
12. प्रधान मजिस्ट्रेटों को विशेष रूप से किशोर न्याय जाँच से निपटना चाहिए।
13. बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण।
14. सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में रहने की स्थितियों में सुधार।
15. किशोर न्याय कोष की स्थापना।

34. इसके बाद, यह मामला 9 मई, 2016 को उठाया गया जब विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि MWCD/ एम. डब्ल्यू. सी. डी. (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने और अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि यह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. के सदस्यों जैसे विभिन्न पदों पर बैठे लोगो के नाम MWCD/एम. डब्ल्यू. सी. डी. (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की वेबसाइट पर रखे जाएंगे ताकि जब भी आवश्यक हो, उनसे संपर्क करना आसान हो। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की आवश्यकता है। तदनुसार इस न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना को अद्यतन करने और समय-समय पर अद्यतन रखने के लिए भारत संघ को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

35. जहां तक नालसा का संबंध है, उसने कानूनी सेवा वकीलों और परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की एक प्रति रिकॉर्ड में प्रस्तुत की, लेकिन नालसा की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया कि चूंकि मॉड्यूल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के आधार पर तैयार किए गए थे, इसलिए नालसा उनकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और बाद में उन्हें जेजे अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नए नियमों के अनुरूप लाएगा।

36. 22 अगस्त, 2016 को सुनवाई में भारत संघ को किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को तत्काल कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की व्यवहार्यता पर विचार करने की आवश्यकता थी।

37. इस मामले को 17 फरवरी, 2017 को फिर से उठाया गया था, जिस समय तक MWCD/एम. डब्ल्यू. सी. डी. (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा सूचना के ऑनलाइन संग्रह में इस हद तक काफी प्रगति हो चुकी थी कि एक केंद्रीय स्तर का निगरानी प्रारूप तैयार किया गया था जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए आसानी से भरा जा सकता था, जिसे एकत्र किया जा सकता था।

38. हमने एकत्रित जानकारी के अलावा यह भी आवश्यकता महसूस किया कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस. सी. पी. सी. आर.) प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि एस. सी. पी. सी. आर. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित एक निकाय है, जिसके विभिन्न कार्य हैं, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 13 में विस्तृत है।

39. 5 अप्रैल, 2017 को और 11 जुलाई, 2017 को हमने एस. सी. पी. सी. आर. की संरचना और गठन पर उपलब्ध कराई गई जानकारी पर गौर किया और इस मामले के समग्र दृष्टिकोण पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद थीं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उन्हें भरने या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में कोई तात्कालिकता दिखाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं किया जा रहा था।

40. इसके बाद, 15 नवंबर, 2017 को हमने एम. डब्ल्यू. सी. डी. से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किशोर न्याय कोष में पड़ी राशि के बारे में सूचित करने को कहा जिसकी आवश्यकता थी।

41. किसी न किसी रूप में अभिलेख पर उपलब्ध इस सारी जानकारी के साथ, हमने 20 नवंबर, 2017 को पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को सुना और निर्णय सुरक्षित रखा।

42. हम उस समय से इस मामले में हुई कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में विस्तार से गए हैं जब जनहित याचिका केवल बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के विभिन्न आयामों और अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अनौपचारिक दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। यह भूलना आसान है कि बच्चे भी सम्मानजनक व्यवहार के हकदार हैं और केवल इसलिए कि राज्य के मामलों में उनकी कोई आवाज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे समाज के महत्वहीन सदस्य हैं जिन्हें ऐसी स्थितियों में

रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो असहज हैं (कम से कम कहने के लिए) और जिनके पास न्याय तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है।

एम. डब्ल्यू. सी. डी. (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा दायर हलफनामे

43. मामले की प्रगति के दौरान, एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने कुछ स्थिति रिपोर्ट और हलफनामे दायर किए।

44. 31 जुलाई, 2015 को दायर एक हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा लागू/कार्यान्वित की जा रही एक ऑनलाइन केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली की स्थिति का संकेत दिया गया था। संक्षेप में, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रारूपों तक पहुंचने, डेटा प्रदान करने और एम. डब्ल्यू. सी. डी. को रिपोर्ट जमा करने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। बहुत व्यापक रूप से, रिपोर्टों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में घर और बच्चे, खुले आश्रय, विशेष गोद लेने वाली एजेंसियां, गैर-संस्थागत देखभाल, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और सेवा वितरण संरचनाएं शामिल हैं। यह एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है और जानकारी एकत्र करने का एक बड़ा प्रयास है ताकि जेजे अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और योजना प्रक्रिया को तदर्थ के बजाय अधिक संरचित किया जा सके।

45. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 8 सितंबर, 2015 को एक और हलफनामा दायर किया जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर में जानकारी दर्ज करने की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए किये गए अनुरोधों का संकेत दिया गया। शपथ पत्र में अनुपालन की सीमा के बारे में संकेत दिया गया था। 2014-15 अवधि के लिए यह कहा गया था कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवश्यक जानकारी प्रदान की थी, लेकिन 7 राज्य पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे थे। 2015-16 अवधि के लिए अधिकांश राज्यों ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की। जिन्होंने किया वे थे असम, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा।

46. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 4 दिसंबर, 2015 को बाल देखभाल संस्थानों और उनके पंजीकरण के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवीक्षा अधिकारियों की उपलब्धता का विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दायर की। दुर्भाग्य से, हलफनामे के अनुसार स्थिति इस मायने में काफी असंतोषजनक थी कि कई बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत नहीं किए गए थे और परिवीक्षा अधिकारियों की गंभीर कमी थी। 12 फरवरी, 2016 के एक और हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसने योजनाओं में एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका का भी संकेत दिया है।

47. 29 मार्च, 2016 को एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर एक अन्य हलफनामे में 15 फरवरी, 2015 को इस न्यायालय द्वारा चिन्हित 15 मुद्दों के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी।

48. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 3 मई, 2016 को अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा चिन्हित 15 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली में दी गई जानकारी के लिए कुछ प्रारूप जोड़े गए थे।

49. 11 जनवरी, 2017 के हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा यह खुलासा किया गया था कि किशोर न्याय के मुद्दों के लिए कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग काफी खराब स्थिति में था। वास्तव में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एम. डब्ल्यू. सी. डी. को इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

50. एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर अंतिम हलफनामे में यह खुलासा किया गया कि 26 सितंबर, 2017 को एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया था और हलफनामे को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिभागियों द्वारा बाल अधिकारों और किशोर न्याय के मुद्दों की समझ में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दुर्भाग्य से, राष्ट्रीय परामर्श के कार्यवृत्त (MINUTES) को अभिलेख में नहीं रखा गया है।

नालसा द्वारा प्रदान की गई जानकारी और डेटा

51. जहाँ तक नालसा/एन. ए. एल. एस. ए. का संबंध है, उसने एक उल्लेखनीय अध्ययन किया था, और 2000 के अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियों और गृहों से संबंधित मुद्दों पर तीन भाग वाली रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा था। भले ही नालसा/एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें बेहद उपयोगी हैं, लेकिन क्योंकि वे अब काफी पुरानी हो चुकी हैं (अगस्त 2011 तक के आंकड़ों के साथ), इसलिए उन्हें किसी भी विस्तार से संदर्भित नहीं किया जा रहा है।

52. नालसा ने 20 जुलाई, 2015 को एक और रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया गया कि जे.जे.बी./JJBs (किशोरे न्याय बोर्ड) के समक्ष बड़ी संख्या में जाँच लंबित हैं। यह बताया गया कि अकेले उत्तर प्रदेश में 34,569 जाँच लंबित हैं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1883 जाँच जेजेबी/JJBs (किशोरे न्याय बोर्ड) के समक्ष लंबित हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कई जे.जे.बी. (किशोरे न्याय बोर्ड) नियमित रूप से नहीं बैठते थे और कुछ की बैठक शायद सप्ताह में एक या दो बार होती थी। यह भी बताया गया कि कुछ स्थानों पर

अवलोकन/संप्रेक्षण गृह और जे.जे.बी. (किशोरे न्याय बोर्ड) के बीच की दूरी काफी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे परिवीक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है जो विशेष रूप से किशोर न्याय के मुद्दों से निपटेंगे।

53. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मई 2016 में नालसा द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल लाया गया था। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग तब से नालसा द्वारा किया गया है और हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि एक प्रशिक्षण मार्गदर्शक के रूप में यह बेहद उपयोगी और फायदेमंद पाया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क

54. अपनी ओर से, याचिकाकर्ता ने बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक बड़ी संख्या प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता द्वारा 10 और 25 सितंबर, 2013 और 10 मई, 2016 को बाल अधिकारों और किशोर न्याय के कई पहलुओं पर भी सुझाव दिए गए थे। इनमें से अधिकांश सुझाव एन. ए. एल. एस. ए./ नालसा द्वारा दिए गए सुझावों के पूरक हैं।

चर्चा, सुझाव और सिफारिशें

(i) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग

55. संसद द्वारा अधिनियमित बाल संबंधी कानून बच्चों और बाल अधिकारों के संबंध में दो अत्यंत महत्वपूर्ण नीति और निर्णय लेने वाले संस्थानों, अर्थात् एन.सी.पी.सी.आर./NCPCR और एस.सी.पी.सी.आर./SCPCR, का प्रावधान करते हैं। इसी तरह, जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जमीनी या जमीनी स्तर पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण निकायों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई। हमारी राय में, यदि ये संस्थान और निकाय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो, बाल अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन वास्तव में हमारे देश में एक वास्तविकता बन सकते हैं।

56. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.पी.सी.आर. /NCPCR के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन करने और राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर एस.सी. पी.सी.आर. /SCPCR के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन करने का प्रावधान है। एन.सी.पी.सी.आर. की संरचना अधिनियम की धारा 3 में प्रदान की गई है जबकि एस.सी.पी.सी.आर. की

एक समान संरचना अधिनियम की धारा 17 में प्रदान की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन—(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में जाने जाने वाले एक निकाय का गठन करेगी।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(क) एक अध्यक्ष जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है; और

(ख) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों से होंगी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, क्षमता, सत्यनिष्ठा, स्थिति और अनुभव वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा –

(i) शिक्षा;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास।

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल;

(iv) बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन;

(v) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र; और

(vi) बच्चों से संबंधित कानून।

(3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा।"

57. यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर, एन. सी. पी. सी. आर. एक ऐसा संस्थान है जिसमें अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। इस प्रकार, उनसे प्रत्येक एस.सी.पी.सी.आर. और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को देखने की उम्मीद की जाती है। राज्य स्तर पर, एस. सी. पी. सी. आर. एक समान रूप से महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य में बच्चों के लाभ के लिए नीतिगत निर्णय लें, चाहे बच्चे मूल रूप से किसी भी राज्य के हों, क्योंकि एक राज्य के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन दूसरे राज्य के बाल देखभाल संस्थान में।

58. एन.सी.पी.सी.आर. और एस.सी.पी.सी.आर. के कार्य कमोबेश समान हैं, सिवाय इसके कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यों को करता है, जबकि दूसरा राज्य स्तर पर इन कार्यों को करता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 एन.सी.पी.सी.आर. के कार्यों का विवरण देती है और यह निम्नानुसार है:

"13. आयोग के कार्य— (1) आयोग निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य को पूरा करेगा, अर्थात्:

(क) बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्समय लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें;

(ख) केंद्र सरकार को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(ग) बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना।

(घ) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों का आनंद लेने में बाधा डालने वाले सभी कारकों की जांच करें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) संकटग्रस्त बच्चों, हाशिए पर पड़े और वंचित बच्चों, कानून/विधि के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों, किशोरों, परिवार के बिना बच्चों और कैदियों के बच्चों सहित विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर ध्यान दें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।

(च) संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों/दस्तावेजों का अध्ययन करना और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की आवधिक/समय-समय पर समीक्षा करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार और अन्य उपलब्ध साधन, के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

(झ) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित किसी संस्थान सहित किसी अन्य प्राधिकरण के नियंत्रण में किसी किशोर अभिरक्षा गृह, या बच्चों के लिए किसी अन्य निवास स्थान या संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण कराना; जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन अधिकारियों के साथ बात करना;

(ञ) शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना –

(i) बाल अधिकारों से वंचित करना और उनका उल्लंघन करना।

(ii) बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को लागू न करना।

(iii) बच्चों की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने और ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का पालन न करना।

या ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया जाए; और

(ट) ऐसे अन्य कार्य जो बाल अधिकारों के संवर्धन और उपरोक्त कार्यों के लिए आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझते हैं।

(2) आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है जो उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत गठित किया गया है।"

59. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि एन.सी.पी.सी.आर. और एस.सी.पी.सी.आर. दोनों के पास करने के लिए कई प्रकार के कार्य हैं और उनमें से प्रत्येक में बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों इन निकायों को व्यापक नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता नहीं दे रही है और वास्तव में कुछ मामलों में, विशेष रूप से एस.सी.पी.सी.आर. से संबंधित, कई महीनों से रिक्तियों को नहीं भरा गया है। वास्तव में, एन.सी.पी.सी.आर. को एस.सी.पी.सी.आर. के सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आदेश देने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। (कोर्ट्स ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पंजाब राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य जिस पर 9 अप्रैल, 2013 को निर्णय लिया और MANU/PH/0599/2013 के रूप में सूचित किया गया।)⁴ दुर्भाग्य से, एक समय पर, एन.सी.पी.सी.आर. के अध्यक्ष का पद भी कई महीनों से खाली पड़ा था, जब तक कि इस न्यायालय के निर्देश पर, इस पद को अंततः भरा नहीं गया। हमें शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एन.सी.पी.सी.आर./NCPCR और एस.सी.पी.सी.आर./SCPCR को उचित महत्व नहीं दिया जाता है और रिक्तियों को समय पर भरा नहीं जाता है, तब तक बच्चों के अधिकारों का प्रवर्तन अधर में रहेगा और भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कोई भी कल्याणकारी योजनाएं या तो लागू नहीं होंगी या उनका कार्यान्वयन अस्पष्ट और प्रतीकात्मक रहेगा।

60. हम आशा और विश्वास करते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों में अधिकार और शक्ति रखने वाले लोग इस बात कि संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के प्रावधानों का पालन करने का महत्व की सराहना करते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.पी.सी.आर. और राज्य स्तर पर एस.सी.पी.सी.आर. वास्तव में कार्य करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें।

(ii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई

61. इन दोनों निकायों में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, इस बारे में किसी भी स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में, राज्य सरकारों ने केवल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करके और नागरिक समाज के सदस्यों को छोड़कर एक आसान रास्ता खोज लिया है। हमारी राय में, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल

⁴ न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से बनाम पंजाब राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 9 अप्रैल, 2013 को निर्णय लिया गया और MANU/PH/0599/2013 के रूप में रिपोर्ट किया गया

संरक्षण इकाई के गठन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारक इन दोनों निकायों के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हों।

62. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 84 और नियम 85 में विस्तृत हैं। [यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ राज्यों ने अपने स्वतंत्रता नियम बनाए हैं, लेकिन हम उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं]। कार्य विविध, व्यापक हैं और विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ बच्चों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए तैयार।

63. जे. जे. अधिनियम और एन.सी.पी.सी.आर. और एस.सी.पी.सी.आर. द्वारा निर्धारित नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, जे. जे. अधिनियम की धारा 106 में राज्य स्तरीय बाल संरक्षण सोसायटी और जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई के गठन का प्रावधान है। जेजे अधिनियम की धारा 106 इस प्रकार है:

“106. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल सुरक्षा इकाई— प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक बाल संरक्षण सोसायटी और प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षण इकाई का गठन करेगी, जिसमें ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों से संबंधित मामलों को उठाएंगे, जिसमें इस अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, बच्चों के संबंध में सक्षम अधिकारियों की अधिसूचना और उनके पुनर्वास और विभिन्न संबंधित आधिकारिक और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना शामिल है जो निर्धारित किए जाएं।”

64. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन मोटे तौर पर इंगित करता है कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई का प्राथमिक कार्य जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, ये निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि जेजे अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव किया जाए, बच्चों और उनके पुनर्वास के संबंध में सक्षम अधिकारी मौजूद हों और इन दोनों निकायों को सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता है ताकि वे अपने व्यापक कार्य का निर्वहन कर सकें। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नागरिक

समाज की भागीदारी एक प्रगतिशील कदम है और इन दोनों निकायों से समय-समय पर उनकी सहायता लेने की उम्मीद की जाती है।

65. यदि ये दोनों निकाय वास्तव में अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों को उनसे अपेक्षित तरीके से करते हैं, तो जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन अब कोई मुद्दा नहीं होगा। दुर्भाग्य से, हमें सूचित किया गया है कि ये निकाय कई स्थानों पर या जिस तरह से अपेक्षित हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं और कई जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन भी नहीं किया गया है। हम सभी संबंधितों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं।

(iii) किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ

66. जेजेबी की स्थापना के संबंध में, हमें यह समझने के लिए कहा गया था कि अब अधिकांश जिलों में जेजेबी है, लेकिन यह सही समय है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जेजेबी होना चाहिए। एक अपवाद शायद बनाया जा सकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में जहां शायद कोई किशोर अपराध नहीं है या कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जहां जाँच की संख्या बहुत कम है, जिस स्थिति में जेजेबी उचित रूप से अपनी बैठकें निर्धारित कर सकता है। इसी तरह, एक 'सर्किट जेजेबी' पर विचार किया जा सकता है यदि कुछ आस-पास के जिले हैं जहां लंबित जाँच की संख्या काफी कम है।

67. हमें यह भी समझने के लिए दिया गया है कि जेजेबी के सदस्यों के रूप में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जेजे अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार हो जरूरी नहीं है। इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:

"4. किशोर न्याय बोर्ड:—1. XXX XXX XXX

2. एक बोर्ड में कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा (जिसे इसके बाद प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में संदर्भित किया गया है) और दो सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे तरीके से चुने जाएंगे जो निर्धारित किया जाए, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, एक पीठ का गठन करेगी और ऐसी प्रत्येक पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां होंगी।

3. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्षों से बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल न हो या बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाजशास्त्र या कानून में डिग्री के साथ पेशेवर रूप से काम कर रहा हो।

4. XXX XXX XXX

5. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास, कानूनी प्रावधानों और न्याय पर बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सहित सभी सदस्यों को प्रशिक्षण और संवेदीकरण प्रदान किया जाए।

6. और 7 .XXX XXX XXXI"

68. जेजेबी के सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन मॉडल नियमों के नियम 87 के साथ पठित नियम 88 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। यह सराहना की जानी चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गंभीर व्यवसाय है, क्योंकि वे जेजे अधिनियम के तहत जांच करते समय अपने अनुभव-व्यावहारिक और पेशेवर-को लाते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह सराहना की जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रधान मजिस्ट्रेट से स्वतंत्रता जांच कर सकते हैं जैसा कि जेजे अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जांच का अंतिम निपटान प्रधान मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता है जैसा कि जेजे अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के परंतुक में अनिवार्य है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं पर यह भारी जिम्मेदारी है कि वे जांच के दौरान और उसके निपटारे के समय भी सार्थक योगदान दें।

69. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह मॉडल नियमों के नियम 89 में प्रदान किया गया है। दुर्भाग्य से, प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, और प्रधान मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति कुछ हद तक तदर्थ और असंरचित है। सार्थक और प्रभावी प्रशिक्षण (और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) की कमी जांच के अंतिम निपटान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है तथा जे. जे. बी. के समक्ष कानून के साथ टकराव में एक किशोर के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पर भी। इस पर न केवल कानून और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण से बल्कि जेजेबी की

संवेदनशीलता, मामले के प्रबंधन और जेजेबी के भीतर कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर के लिए बाल अनुकूल वातावरण और वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा लगता है कि जेजेबी के कामकाज के इन पहलुओं पर ज्यादा विचार नहीं किया गया है और शायद यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में जाँच लंबित हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सूची में सबसे ऊपर है।

70. जेजेबी के कामकाज पर, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले से निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना उचित होगा: नैसुल खातून बनाम असम राज्य और अन्य⁵ (2011 क्रि. एल. जे. 326 = 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन जि अ उ 225/2011 Cri LJ 326 = 2010 SCC Online Gau 225)

“मामले का दूसरा परेशान करने वाला पहलू यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड वास्तव में किशोर के मामले से निपटने के लिए नहीं बैठा या इकट्ठा नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मूल मामले के रिकॉर्ड से हम पाते हैं कि मामले में पारित सभी आदेश पत्र, जिनमें जमानत से इनकार करने वाले किशोर भी शामिल हैं, सभी पर केवल किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं। ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि बोर्ड के दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य कभी भी किशोर के पिता के जमानत देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए मिले। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस तरह के मन का उपयोग (जमानत देने के विचार का) किशोर न्याय बोर्ड द्वारा होना चाहिए न कि केवल प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा।”

71. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ नालसा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने की गई दलीलों से पता चलता है कि जेजेबी की दैनिक बैठकें नहीं होती हैं। बेशक, यह प्रत्येक जेजेबी के समक्ष लंबित जाँच की संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि बड़ी संख्या में जाँच लंबित हैं, तो जेजेबी का यह दायित्व है कि वह दैनिक आधार पर बैठे ताकि जांच जेजे अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। यदि कोई जांच काफी समय तक लंबित रहती है तो यह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है—किसी भी जांच के निपटान में देरी से किसी को लाभ नहीं होता है। इस संदर्भ में, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जहां बड़ी संख्या में जाँच/पूछताछ लंबित हैं, वहां राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के लिए एक से अधिक जेजेबी होने पर विचार करना सार्थक होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली में किसी भी समय तीन जेजेबी काम कर रहे हैं और इसका कारण बड़ी संख्या में लंबित जाँच/पूछताछ है। एक जिले में एक से अधिक जेजेबी की स्थापना की आवश्यकता का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के

5 2011 क्रि. एल.जे. 326 = 2010 एसीसी ऑनलाइन गऊ 225

बाद कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।

72. सुनवाई के दौरान, हमने राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले एक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था कि क्या जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से, प्रतिक्रिया काफी खराब थी और हमें केवल यह बताया गया कि पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं। यह सराहना की जानी चाहिए कि एक जेजेबी वस्तुतः एक अदालत की प्रकृति में है, हालांकि यह एक मुकदमा नहीं चलाता है, बल्कि केवल एक जांच करता है। फिर भी, इसे कुशल तरीके से अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जेजेबी के कई प्रशासनिक कार्य भी हैं और उन्हें उचित ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जेजेबी, अवलोकन गृह के अधिकारियों, पुलिस, कानून के साथ संघर्ष में किशोर और उस किशोर के माता-पिता और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ-साथ कानून के साथ संघर्ष में किशोर के बीच प्रभावी समन्वय हो सके। यदि जेजेबी को प्रभावी ढंग से काम करना है तो इन प्रशासनिक कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक अनौपचारिक बयान कि जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, हालांकि संभवतः सही है, जेजेबी के समक्ष जांच में भाग लेने वाले हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न तो यहां है और न ही वहां है।

73. इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता वकीलों की सख्त आवश्यकता है जो कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की सहायता कर सकें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राज्य कानूनी/विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी गंभीरता के साथ उठाया जाना चाहिए। जब तक किसी बच्चे को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तब तक यह उसके और उसके भविष्य को अधिक प्रभावित कर सकता है, यदि कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को दोषी पाया जाता है और उसे एक विशेष गृह में रखा जाता है। अपनी ओर से, नालसा ने कानूनी सहायता वकीलों के प्रशिक्षण के लिए एक नियमावली तैयार की है और हमारा मानना है कि यह न केवल कानूनी सहायता वकीलों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो कानून के साथ संघर्ष में किशोरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि सामान्य तौर पर कानूनी सहायता वकीलों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। इसी तरह, अभियोजकों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें जेजे अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी, जो समाज में कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर को फिर से एकीकृत करने और उस किशोर का पुनर्वास करने के लिए हो।

74. एक प्रभावी जांच करने के संदर्भ में, एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है और न ही हम एक परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई सटीक सामाजिक जांच रिपोर्ट के

महत्व को कम करके आंक सकते हैं। मॉडल नियमों के नियम 64 में परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का विवरण दिया गया है और यह इस प्रकार है:

"64. परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य— (1) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की परिस्थितियों की जांच करेगा जो बोर्ड द्वारा जांच पर असर डाल सकती हैं और बोर्ड को फॉर्म 6 में एक सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सामाजिक जाँच रिपोर्ट में जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रावधान होना चाहिए, जिसमें उन परिस्थितियों को उजागर करने वाले उत्तेजक और कम करने वाले कारक शामिल हैं जो पड़ोस में तस्करो या दुर्यवहार करने वालों, वयस्क गिरोहों, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं, हथियारों और नशीली दवाओं तक पहुंच, उम्र के अनुचित व्यवहार, जानकारी और सामग्री के संपर्क में आने जैसी असुरक्षा को प्रेरित करते हैं।

(3) परिवीक्षा अधिकारी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा और उसके पास निम्नलिखित कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां होंगी:

- (i) प्रपत्र 6 में बच्चे की सामाजिक जांच करना;
- (ii) बोर्ड और बाल न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना और आवश्यकता पड़ने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (iii) बच्चे की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों से निपटना।
- (iv) अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना।
- (v) बच्चे और प्रभारी व्यक्ति के बीच सहयोग और समझ स्थापित करना;

(vi) परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में बच्चे की सहायता करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;

(vii) रिहाई से पहले के कार्यक्रम में भाग लेना और बच्चे को ऐसे संपर्क स्थापित करने में मदद करना जो रिहाई के बाद बच्चे को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकें;

(viii) सामाजिक जांच रिपोर्ट, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई प्राप्त करने के लिए अन्य जिलों और राज्यों में परीक्षा अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करना;

(ix) बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण की सुविधा के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।

(x) बच्चे की नियमित पोस्ट रिलीज फॉलो-अप/रिहाई के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करना, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, सामाजिक मुख्यधारा में उनकी वापसी को सक्षम और सुविधाजनक बनाना;

(xi) बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना और पोस्ट रिलीज/रिहाई के बाद की योजना तैयार करना;

(xii) व्यक्तिगत देखभाल योजना के अनुसार परीक्षा पर रखे गए बच्चों की निगरानी करना;

(xiii) बच्चे की देखरेख में उसके निवास और ऐसे बच्चे द्वारा भाग लिए जाने वाले रोजगार या स्कूल का नियमित दौरा करना और फॉर्म 10 के अनुसार आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xiv) जहां भी संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से लेकर अवलोकन गृह, विशेष घर, सुरक्षा या फिट सुविधा के स्थान तक बच्चों के साथ जाना;

(xv) समय-समय पर सुरक्षा के स्थान पर बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना और मनो-सामाजिक सहित रिपोर्ट तैयार करना और इसे बाल न्यायालय को भेजना;

(xvi) बाल न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करना;

(xvii) उसके द्वारा की गई यात्राओं, उसके द्वारा तैयार की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट, उसके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई और उसके द्वारा तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट जैसी उसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए एक डायरी या रजिस्टर रखना;

(xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्पों की पहचान करना और बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करना; और

(xix) कोई अन्य कार्य जो सौंपा जा सकता है।”

75. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक परिवीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि कानून के साथ टकराव में एक किशोर को जेजेबी के समक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई दी जाती है और जांच इस तरह से की जाती है जो कानून के साथ टकराव में किशोर के पुनर्वास के लिए अनुकूल हो। इस संबंध में, एक व्यक्तिगत देखभाल योजना और पोस्ट रिलीज/रिहाई के बाद की योजना की तैयारी का बहुत महत्व है और इसमें एक परिवीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

76. एक बार फिर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक परिवीक्षा अधिकारी को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और जागरूकता दी जानी चाहिए। एन.ए.एल.एस.ए./नालसा . ने परिवीक्षा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करके इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ एम.डब्ल्यू.सी.डी.(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि एन.ए.एल.एस.ए./नालसा द्वारा सुझाए गए तर्ज पर परिवीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए और वयस्क सीखने की तकनीकों, प्रशिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की सामग्री में समय के साथ सुधार किया जाए।

77. सभी पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलें और जेजेबी से संबंधित हमारे विचार और निष्कर्ष सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) पर समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए हमेशा सहायता के लिए

कानूनी सहायता वकीलों की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है। यह मामले-दर-मामले के आधार पर निर्भर करेगा और आवश्यकता पड़ने पर कानून के प्रश्न पर सी.डब्ल्यू.सी. को सलाह देने के उद्देश्य से केवल एक न्यायमित्र के रूप में।

78. हमें कुछ हद तक दुर्भाग्य से सूचित किया गया था कि बाल कल्याण समितियों को कभी-कभी 'द्वितीय श्रेणी निकायों' के रूप में माना जाता है और उन्हें नियमित रूप से मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, वे बहुत खराब बुनियादी सुविधाओं वाली इमारतों में अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए मजबूर हैं। यह जेजे अधिनियम के काम करने पर एक दुखद टिप्पणी है, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के कंधों पर है, जिन्हें स्थिति को सुधारना चाहिए।

(iv) प्रौद्योगिकी का उपयोग

79. जेजेबी/JJBs के साथ-साथ सीडब्ल्यूसी दोनों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है और हम एमडब्ल्यूसीडी द्वारा दिए गए हलफनामों और प्रस्तुतियों से यह नोट करते हुए निराश हैं कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के साथ कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों की भारी कमी है। प्रौद्योगिकी न केवल जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लापता बच्चों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के बचाव से संबंधित, तस्करी किए गए बच्चों, चाइल्ड केयर संस्थान को छोड़ने वाले बच्चों, बाल यौन शोषण के पीड़ित और अनुवर्ती कार्रवाई, कई अन्य आवश्यकताओं के बीच समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि हमारा देश एक तकनीकी शक्ति है और अगर हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने और बच्चों के लाभ के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो एक तकनीकी शक्ति के रूप में हमारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी और केवल कागज पर ही रहेगी। डेटा, विशेष रूप से जिस प्रकार के परिमाण से हम संबंधित हैं, उसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से आसानी से एकत्र किया जा सकता है। यह संसाधनों की योजना और प्रबंधन में बहुत सहायक होगा और एम.डब्ल्यू.सी.डी. और बाल अधिकारों से संबंधित अन्य लोगों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

80. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों का उपयोग जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के प्रशासनिक कामकाज में बहुत बड़ा योगदान देगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस पर गौर करने और स्पष्ट कारणों से जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदान करने की आवश्यकता है। विद्वान वकील द्वारा हमें सूचित किया गया कि तेलंगाना और

आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के परामर्श से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का काफी उपयोग किया है और हमारा विचार है कि नवीन कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग पर भी उचित मामलों में विचार किया जा सकता है जहां कानून के साथ संघर्ष में किशोर को कुछ असुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है।

81. प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में, एक ऑनलाइन केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली लाने के लिए एम. डब्ल्यू.सी.डी. की सलाहना की जानी चाहिए। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें बताया है कि यह ऑनलाइन प्रणाली काफी प्रभावी ढंग से काम कर रही है, हालांकि महीनों बीतने के साथ इसे समय-समय पर उन्नत करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली पर जानकारी को अद्यतन करने में राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक सक्रिय सहयोग नहीं दिया जा रहा है। एम. डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा दायर और ऊपर दिए गए हलफनामों में से एक में, यह कहा गया था कि जबकि लगभग हर राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रासंगिक जानकारी भरी है, लेकिन अवधि 2015-16 के संबंध में प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत उदासीन थी। कहने की जरूरत नहीं है कि जानकारी को अद्यतन करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि कुशल योजना बनाई जा सके जो अंततः बच्चों से संबंधित मुद्दों के बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगी। हम उल्लेख कर सकते हैं कि राज्य सरकारों को केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली पर जानकारी तिमाही में एक बार भरने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से यह एक कठिन काम नहीं हो सकता है।

(v) पुलिस की भूमिका

82. जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक स्थानीय पुलिस है। जेजे अधिनियम की धारा 107 प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (संक्षिप्त में 'सीडब्ल्यूपीओ') और एक विशेष किशोर पुलिस इकाई (संक्षिप्त में 'एसजेपीयू') की नियुक्ति को अनिवार्य करती है। एस.जे.पी.यू. में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें से एक महिला हो। नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जेजे अधिनियम की धारा 107 इस प्रकार पढ़िये है:

“107. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई-1. प्रत्येक पुलिस थाने में, कम से कम एक अधिकारी, सहायक उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं, योग्यता, उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास के साथ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है, जो विशेष रूप से बच्चों के साथ पीड़ितों या अपराधियों के रूप में, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय में व्यवहार करता है।

2. बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी करेगा जो पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पद से कम नहीं होगा और इसमें उप-धारा (1) के तहत नामित सभी पुलिस अधिकारी और बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होगी।

3. विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

4. विशेष किशोर पुलिस इकाई में बच्चों से निपटने वाली रेलवे पुलिस भी शामिल है।”

83. हमें पक्षों के विद्वान वकील द्वारा यह समझने के लिए कहा गया है कि कई राज्यों ने वास्तव में सी. डब्ल्यू.पी.ओ./CWPO नियुक्त किए हैं और एस.जे.पी.यू./SJPU की स्थापना की है। दुर्भाग्य से, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई है, लेकिन आम तौर पर मॉडल नियमों के नियम 86 में कहा गया है। हमें यह भी समझने के लिए कहा गया है कि सी.डब्ल्यू.पी.ओ. और एस.जे.पी.यू. के लिए प्रभावी प्रशिक्षण की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई है और उनमें से कई केवल प्रतीकात्मक रूप से और केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कानून उनके अस्तित्व की अपेक्षा करता है। चूंकि सी.डब्ल्यू.पी.ओ. और एस.जे.पी.यू. के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट या पहचाना नहीं गया है, इसलिए हमारी राय में यह सही समय है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी राज्य पुलिस अकादमियों के परामर्श से सी.डब्ल्यू.पी.ओ. और एस.जे.पी.यू. के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करें। इस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि नालसा ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन से जुड़े किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। शायद यह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और पुलिस अकादमियों के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।

84. प्रशिक्षण के महत्व की सराहना *पटना उच्च न्यायालय के समक्ष द मैटर ऑफ लेटर (पत्र) ऑफ सनत कुमार सिन्हा (मुख्य समन्वयक), बाल सखा बनाम बिहार राज्य, बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से और अन्य*⁶ में लगाए गए आरोपों से की जा सकती है। उस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि एक बच्चे को पुलिस स्टेशन से सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए पारगमन के दौरान वर्दी में पुलिसकर्मियों द्वारा हथकड़ी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बच्चे की पहचान का खुलासा किया गया था। बेशक, पटना उच्च

न्यायालय ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और उचित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता के माध्यम से इससे बचा जा सकता था।

85. आम तौर पर पुलिस के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि बारी-बारी की नीति के कारण, अक्सर ऐसा होता है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद उस अधिकारी को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रयास की बर्बादी है और स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का एक तरीका प्रत्येक राज्य पुलिस अकादमी और राज्य सरकार के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित करना है, अपने अधिकारियों की सेवाओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए।

86. इसी तरह, भारत सरकार को बच्चों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस को शामिल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कोई जानकारी या डेटा सामने नहीं आ रहा है और पक्षकारों के विद्वान वकील इस पहलू के संबंध में हमारी सहायता करने में असमर्थ थे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार रेलवे के माध्यम से इस मामले को कुछ हद तक तात्कालिकता के साथ देखेगी। विद्वान वकील ने हमें बताया कि बड़ी संख्या में भागे हुए बच्चे और बच्चे नशीली दवाओं का सेवन करते हुए रेलवे स्टेशनों (और अन्य स्थानों) पर कूड़ा बीनने वालों के रूप में काम करते या अन्य छोटी-मोटी गतिविधियाँ करते पाए जाते हैं। हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्यथा भी, ऐसे बच्चों में नशीली दवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए और आम तौर पर कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(vi) बाल देखभाल संस्थान

87. बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनमें से कई जर्जर इमारतों में स्थित हैं और न्यूनतम स्तर तक भी आरामदायक जीवन के लिए शायद ही अनुकूल हैं। राज्य सरकारों को इस बात को समझना चाहिए कि वे बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को रखकर कोई दान नहीं कर रहे हैं— वे केवल अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इसलिए, प्रत्येक राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उनकी स्थिति, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। बच्चे इन संस्थानों में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। समाज का दायित्व इन बच्चों को सांत्वना और आराम प्रदान करना और देखभाल के न्यूनतम मानकों का पालन करना है। मॉडल

नियमों में बेहतर बाल देखभाल संस्थानों और उनकी आवश्यकताओं के लिए विवरण शामिल हैं। राज्य सरकारों को केवल इन न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करना है। कुछ राज्य में बाल देखभाल संस्थानों की प्रबंधन स्थिति सबसे अच्छी तरह से है यह **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट्स ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पंजाब राज्य** (उपरोक्त) मामले में की गई टिप्पणियों से निम्नलिखित प्रभाव तक स्पष्ट होती है:

“... .उक्त ऑब्जर्वेशन होम की दयनीय स्थिति दर्शाती है कि सोनीपत में ऑब्जर्वेशन होम में दो बैरक और ऊँची दीवारों के साथ सामने की ओर एक आंगन था। प्रवेश द्वार जेल के द्वार के समान था। इस गृह में किशोरों के लिए मनोरंजन सुविधाओं या खेल के मैदान का कोई स्रोत नहीं था। जल निकासी प्रणाली में रुकावट के कारण आंगन रुके हुए पानी से भर गया था और आंगन का उपयोग करने के लिए बैरक से बाहर जाने के लिए शायद ही कोई जगह थी। पूछताछ से पता चला कि पीने योग्य पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय और रसोईघर वे भी दयनीय स्थिति में थे। अवलोकन गृह का प्रबंधन एक एकल शिक्षक द्वारा किया जाता था, जो एक शिक्षक का काम करने के अलावा, गृह के समग्र प्रशासन की भी देखभाल कर रहा था। इस तरह से बच्चों को कोई सार्थक शिक्षा नहीं दी जा रही थी। ऑब्जर्वेशन होम को जेल से भी बदतर पाया गया। होशियारपुर (पंजाब) में अवलोकन गृह लगभग समान जीर्ण-शीर्ण स्थितियों के साथ बेहतर नहीं पाया गया।”

88. बेशक, राज्य सरकारों पर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों) और पर्याप्त पोषण प्रदान करने जैसे संविधान द्वारा बाध्य अतिरिक्त कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। ये ऐसे विशाल क्षेत्र हैं जिन पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और जेजे अधिनियम के तहत स्थापित निकायों और संस्थानों द्वारा पूरी ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण बेहुरा जैसे चिंतित नागरिक केवल प्रणालीगत कार्यान्वयन खामियों और खामियों को उजागर कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकारें और संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत गठित विभिन्न निकाय अपने कर्तव्यों और कार्यों का पालन करें। लेकिन, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, अदालतें संवैधानिक रूप से संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जनहित में एक निरंतर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं, जो अनिवार्य रूप से कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कार्यपालिका लगातार लापरवाही के साथ संसद के जनादेश की अनदेखी करती है, तो यह केवल हमारे देश के बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा।

89. इस संदर्भ में, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एम.डब्ल्यू.सी.डी. ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और प्रबंधित बाल देखभाल संस्थान जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हों। हम काफी आश्चर्यचकित हैं कि कुछ संस्थानों से

पंजीकरण का कुछ विरोध हुआ है, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया है, और इसलिए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कानून का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि यह कानून की पुस्तकों में मौजूद है। इनमें से कुछ बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन करने वालों के लिए यह असहज हो सकता है, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है और सार्वजनिक हित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि देखभाल के न्यूनतम मानकों को बनाए रखा जाए और उन संस्थानों में बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कभी-कभी बाल देखभाल संस्थानों से तस्करी और बाल यौन शोषण के आरोप लगते हैं, जिनमें से कुछ असत्यापित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी शर्मनाक आरोप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पंजीकरण, उनके प्रबंधन और कामकाज की राज्य सरकारों और एम. डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा सख्ती से निगरानी की जाए।

90. विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में, कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर उम्र के संदर्भ में और जहां भी लागू हो, बच्चों का अलगाव होना चाहिए ताकि यौन शोषण की संभावना को कम किया जा सके। या किसी अन्य प्रकार की हिंसा को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी संस्थानों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे व्यावसायिक या निरंतर शिक्षा प्रदान करें ताकि कानून के साथ संघर्ष में बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में फिर से एकीकृत और मुख्यधारा में लाया जा सके। ये सभी गंभीर चिंता के विषय हैं और राज्य सरकारों और एस.सी.पी.सी.आर. द्वारा इनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

91. इस बात पर जोर दिया गया कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभा सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का स्थान बाल देखभाल संस्थानों के निकट होना चाहिए ताकि बच्चों को इन वैधानिक निकायों के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने से बचा जा सके। विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए ये सभी सुझाव और सिफारिशें चिंता के विषय हैं और राज्य सरकारों और एस. सी. पी. सी. आर. द्वारा कर्तव्यनिष्ठा से संबोधित किए जाने चाहिए।

92. बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में की गई प्रस्तुतियों में से एक यह थी कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यह पता लगाने के लिए उनके पास अनिर्धारित दौरे कर सकते हैं कि क्या वे वास्तव में काम कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। हमारी राय है कि यह 'आगंतुक' प्रणाली निश्चित रूप से लागू करने लायक है और हम उम्मीद करते हैं कि नालसा दिए गए सुझाव के साथ आगे बढ़ेगा। वास्तव में, 2006 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन ने विशेष रूप से बाल देखभाल संस्थानों में आगंतुकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया था और 2013 और 2015 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बाल देखभाल संस्थानों में रहने

की स्थिति में सुधार पर भी ध्यान देने की बात की गई थी। नालसा और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करना चाहिए।

(vii) किशोर न्याय कोष

93. जेजे अधिनियम किशोर न्याय कोष के गठन का प्रावधान करता है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने किशोर न्याय कोष में राज्य सरकारों के योगदान से संबंधित आंकड़े हमारे सामने रखे। हम इस बात से काफी व्यथित हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने किशोर न्याय कोष की स्थापना भी नहीं की है, जबकि एक या दो राज्य सरकारों ने केवल कुछ हजार रुपये की शर्मनाक राशि के साथ कोष की स्थापना की है। हम आश्चर्य करते हैं कि इन राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण की देखभाल कैसे की जा सकती है। जाहिर है, ये राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण के बारे में गंभीरता से चिंतित नहीं हैं, जो अफ़सोस की बात है। यह बच्चों के अधिकारों के प्रति आधिकारिक उदासीनता और चिंता का एक और उदाहरण है।

(viii) मूल्यांकन और आकलन

94. अंत में, यह उचित होगा कि जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए हर छह महीने में किसी प्रकार का मूल्यांकन या सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए। संसद द्वारा 2000 के अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है और निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चे बहुत बेहतर के हकदार हैं और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और 15 या 16 साल तक और इंतजार नहीं कर सकते। 2000 के अधिनियम के लागू होने के समय पैदा हुए अधिकांश बच्चे वयस्कता के करीब हैं और उनमें से कई को 2000 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिला है। यह गलती, जो उस समय गंभीर थी, जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन में दोहराई नहीं जा सकती। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और अगर उनकी देखभाल नहीं की जाती है, तो यह देश का भविष्य है जो दांव पर है।

निष्कर्ष और निर्देश

95. सभी विद्वान वकीलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निर्देश दिए जाने चाहिए और हम ऐसा करते हैं।

1. भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. आर. में सभी पदों को समय पर

अच्छी तरह से भरा जाए और इन वैधानिक निकायों को पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किए जाएं ताकि वे बच्चों के लाभ के लिए प्रभावी और सार्थक रूप से काम कर सकें।

2. एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को संसद द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता/तत्परता से लेना चाहिए। इन वैधानिक संस्थानों में कोई पद आराम का नहीं है। देश भर में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में इन निकायों की बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है।
3. राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समितियों और जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाइयों की यह सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जेजे अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और रखरखाव इस तरह से किया जाए जो पोषण, शिक्षा, चिकित्सा लाभ, कौशल विकास और सामान्य जीवन स्थितियों सहित सभी मामलों में बच्चों के कल्याण के लिए अनुकूल हो। इन दोनों निकायों को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की सहायता लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेजे अधिनियम उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।
4. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी में सभी पद को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों या नियमों के अनुसार तेजी से भरा जाता है। पदों को भरने में किसी भी देरी से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे बचा जाना चाहिए।
5. जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को यह समझना चाहिए कि नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करना आवश्यक है ताकि किसी भी समय कम से कम जाँच/पूछताछ लंबित रहे और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को, कानून और सामाजिक न्याय के साथ संघर्ष करने वाले सभी किशोरों को न्याय दिया जाए। यह एक संवैधानिक दायित्व है।
6. एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को जेजे अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध अध्ययन करना चाहिए। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

7. विशेष रूप से एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परीक्षा अधिकारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, राज्य सरकार को आवश्यक संख्या में परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए परीक्षा अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए मॉडल (आदर्श) नियमों और नियमों, यदि कोई हों, में उनके कर्तव्यों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
8. एम. डब्ल्यू. सी. डी. को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का रचनात्मक उपयोग न केवल डेटा और जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से करना चाहिए, बल्कि जेजे अधिनियम से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे कि लापता बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों का डेटाबेस होना और गोद लेने के मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई आदि के लिए भी करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग से प्रशासनिक दक्षता में काफी सुधार होगा, जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
9. पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के साथ-साथ बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित मुद्दों पर पहले उत्तरदाता के रूप में उनकी भूमिका की सराहना करे। इसलिए सार्थक विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना करने और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द जेजे अधिनियम के संदर्भ में नियुक्त करने की आवश्यकता है, न कि केवल कागज पर। इस संदर्भ में, ऐसी इकाइयों और अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान करना आवश्यक है, और जहां भी आवश्यक हो, बच्चों के लाभ के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता, या तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो या गैर सरकारी संगठनों से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए।
10. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राज्य पुलिस अकादमियों को नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में बाल अधिकारों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए न कि एक अलग या छिटपुट घटना के रूप में।

11. बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि ऐसे सभी संस्थान पंजीकृत हों ताकि बच्चे इन संस्थानों में सम्मानजनक जीवन जी सकें और लापता बच्चों और तस्करी के मुद्दों का भी समाधान किया जा सके।
12. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे सभी जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगंतुकों के रूप में नियुक्त करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन संस्थानों के प्रबंधन और रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और इस उद्यम में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ आगंतुकों को भी सहयोग देगा।
13. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी प्रतिक्रिया के अभाव के कारण जेजे फंड थोड़ा शर्मिदा करने वाला है। अगर बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो हम यह सोचकर कांप जाते हैं कि फंड का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है।
14. नालसा ने जेजे अधिनियम से संबंधित डेटा और जानकारी एकत्र करने में उल्लेखनीय काम किया है, जैसा कि उसके द्वारा तैयार की गई तीन भाग की रिपोर्ट से पता चलता है। हम नालसा से इस कवायद को आगे बढ़ाने और 30 अप्रैल, 2018 से पहले इसी तरह की रिपोर्ट को पूरा करने का अनुरोध करते हैं ताकि सभी नीति बनाने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को अपने मामलों की योजना बनाने में सहायता मिल सके।
15. प्रशिक्षण के महत्व पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जा सकता। यह बाल अधिकारों को समझने और उनकी सराहना करने और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्राधिकरण जैसे जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी., परिवीक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधकीय कर्मचारियों को उन्हें संवेदनशील बनाया जाए और उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। नालसा द्वारा इस संबंध में एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया गया है और

हम उम्मीद करते हैं कि एन. सी. पी. सी. आर. एस. सी. पी. सी. आर. की सहायता से इस पहल को आगे बढ़ाएगा ताकि जेजे अधिनियम का सार्थक कार्यान्वयन हो सके।

16. चूँकि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी बाल अधिकारों और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह उचित होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति अपने राज्य में बच्चों के कल्याण में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखे। भागीदारी और प्रक्रिया को और अधिक सार्थक बनाने के लिए, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने प्रस्ताव पर कार्यवाही दर्ज करने का अनुरोध करते हैं ताकि वैधानिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों को सुनने के बाद सार्थक रूप से संबोधित किया जा सके। इस निर्णय और आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के महासचिव द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के महानिबंधक को स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए भेजी जानी चाहिए।

96. अंत में, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि वे प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और कमजोर गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करें। जेजे अधिनियम के तहत जांच और अन्य कानूनों के तहत परीक्षण जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, भारतीय दंड संहिता के तहत यौन अपराधों के लिए परीक्षण और अन्य समान कानूनों को पीड़ित के लिए उच्च स्तर की संवेदनशीलता, देखभाल और सहानुभूति के साथ संचालित करने की आवश्यकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारी अदालतों में किसी अपराध के आरोपी किशोर या यौन अपराध की पीड़ित का अनुभव दर्दनाक होता है। हमें उनके प्रति कुछ करुणा रखने की आवश्यकता है—यहां तक कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर भी, क्योंकि वे निर्दोष होने का अनुमान लगाने के हकदार हैं—और बाल अनुकूल अदालतों और असुरक्षित गवाह अदालतों की स्थापना शायद एक ऐसा तरीका है जिसमें न्याय वितरण प्रणाली उनके दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए प्रतिक्रिया दे सकती है। इस तरह की बाल अनुकूल अदालतों और असुरक्षित गवाह अदालतों का एक और लाभ यह है कि उनका उपयोग उन मुकदमों के लिए किया जा सकता है जिनमें वयस्क महिलाएं यौन अपराधों की शिकार होती हैं क्योंकि वे भी अक्सर हमारी अदालतों की उतनी अनुकूल स्थिति और वातावरण नहीं होने से आहत होती हैं।

97. हम इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए सम्पूर्णा बेहुरा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उपस्थित पक्षों के विद्वान वकीलों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसे एक विरोधात्मक कार्यवाही न बनाकर हमारे देश के बच्चों के लाभ के लिए एक रचनात्मक प्रयास बनाया।

98. याचिका का निष्पादन किया जाता है।

99. रजिस्ट्री को प्रत्येक उच्च न्यायालय के महानिबंधक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद निर्देश के लिए मामले को 13 मार्च, 2018 को सूचीबद्ध करना चाहिए।

याचिका का निपटारा कर दिया गया।

निधि जैन